

राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर

संख्या: एफ.1(44)(1)साशाविस/2013-16/

दिनांक :- 13.12.2016

अधिसूचना

न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धौलपुर (राज.) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 36/2014 सरकार बनाम सत्येन्द्र वगैरा में श्री बी.एल. कुशवाह, (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 79) धौलपुर (जिला धौलपुर) से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी सहपठित धारा 302 में आजीवन कारावास एवं दस हजार रू. के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

परिणामस्वरूप श्री बी.एल. कुशवाह, (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 79) धौलपुर (जिला धौलपुर) से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य, को दोष सिद्धी की तिथि 08 दिसम्बर, 2016 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e)सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अन्तर्गत निरर्हित (Disqualified) किया जाकर उनकी राजस्थान विधान सभा की सदस्यता समाप्त की जाती है। जिसके कारण राजस्थान विधान सभा में एक स्थान [धौलपुर (79)] रिक्त हो गया है।


अधिकृत जति



13/12/16

सचिव

राजस्थान विधान सभा
जयपुर



13/12/16

(पृथ्वी राज)

सचिव,


राजस्थान विधानसभा सचिवालय

संख्या: एफ.1(44)(1)साशाविस/2013-16/ 50549-88

दिनांक :- 13.12.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री बी.एल.कुशवाह , पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- (राजपत्र की दो प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित कराई जा रही है, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र भेज दी जावेगी)
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर- (राजपत्र की छः प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित कराई जा रही है, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र भेज दी जावेगी)
9. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर धौलपुर, राजस्थान।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा उक्त राजपत्र की दस प्रतियां इस सचिवालय को भेजने हेतु।
11. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप सचिव एवं समस्त उप सचिव/सहायक सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
13. मार्शल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
14. मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
15. जन-सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
16. सम्पादक, वाद-विवाद एवं मुद्रण, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।


13/12/16
(पृथ्वी राज)
सचिव,